भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3829

11/08/2026 को उत्तरार्थ

विषय- कृषि आदान लागत और न्यूनतम समर्थन मूल्य

3829 डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि खेती की बढ़ती लागत के अनुरूप रही है;

(ख) क्या सरकार ने पिछले पांच वर्षों के दौरान उर्वरक, कीटनाशक, बीज, डीजल, बिजली और श्रम की कीमतों में तेजी से हुई अत्यधिक वृद्धि का आकलन किया है;

(ग) क्या सरकार का छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष आदान राजसहायता प्रदान करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) एवं (ख): प्रत्येक वर्ष सरकार संबंधित, राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों के अभिमतों पर विचार करने के पश्चात् 'कृषि लागत और मूल्य आयोग' (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर संपूर्ण देश के लिए 22 अधिदेशित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करती है।

प्रत्येक विपणन मौसम में एमएसपी की सिफारिश करते समय, सीएसीपी उत्पादन लागत, घरेलू एवं वैश्विक बाजारों में विभिन्न फसलों की समग्र मांग-आपूर्ति की स्थिति, घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय कीमतें, फसलों के बीच मूल्य समानता (इंटर-क्रॉप प्राइस पैरिटी), कृषि एवं गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तें (टर्म्स ऑफ ट्रेड), मूल्य नीति का शेष अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव तथा उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50 प्रतिशत लाभांश (मार्जिन) जैसे महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करता है।

उत्पादन लागत का आकलन करते समय, सीएसीपी सभी लागतों को व्यापक रूप से शामिल करता है। इसमें सभी (भुगतान की गई) लागतें शामिल होती हैं, जैसे कि किराए पर लिए गए मानव श्रम, बैल श्रम/मशीन श्रम, पट्टे पर ली गई भूमि का किराया, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, डीजल, बिजली, खाद, सिंचाई शुल्क, कृषि उपकरणों एवं कृषि भवनों पर मूल्यह्रास (डिप्रिसिएशन), कार्यशील पूंजी पर ब्याज, पंपसेटों के संचालन हेतु डीजल/बिजली पर व्यय, विविध खर्च तथा परिवार के श्रम का अनुमानित मूल्य।

(ग) एवं (घ): किसानों को आय सहायता प्रदान करने, कृषि उत्पादकता बढ़ाने, खेती की लागत कम करने, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने तथा किसानों को लाभकारी प्रतिफल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार अनेक योजनाएँ एवं कार्यक्रम संचालित कर रही है। ये योजनाएँ एवं कार्यक्रम कृषि के समस्त क्षेत्रों को समाहित करते हैं, जिनमें कृषि ऋण, फसल बीमा, आय सहायता, कृषि अवसंरचना, फसल एवं बागवानी, बीज, कृषि यंत्रीकरण, कृषि विपणन, जैविक एवं प्राकृतिक खेती, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)/किसान सामूहिक संगठन, सिंचाई, कृषि विस्तार सेवाएँ, फसलों की खरीद (प्रोक्योरमेंट) तथा डिजिटल कृषि आदि शामिल हैं।
